RJPP, Vol. 15, No. 2, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)

UGC Approved Journal No. 43279

भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

डॉ0 नीलिमा सिंह

एसो0 प्रोफे0, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, (संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद, उ0प्र0

सारांश

विश्व के सर्वाधिक व्यापक लोकतंत्र भारत में आधी आबादी की राजनीतिक सहभागिता चिंतनीय है। यद्यपि स्वतंत्रता के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्ष उपरान्त भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पुरुषों की तुलना में नगण्य है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर सत्ता में भागीदारी तक है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण विशेष रूप से लोकसभा निर्वाचन 2014 एवं 2017 में पाँच विधानसभा निर्वाचन–उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, पंजाब एवं मणिपुर के सन्दर्भ में किया गया है।

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

डॉ0 नीलिमा सिंह,
"भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता",
RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 75-84,
http://anubooks.com/?page_id=2004
Artcile No. 11(RP560)

डॉ0 नीलिमा सिंह

प्रस्तावना

भारत की विश्व के सर्वाधिक व्यापक एवं सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठा है। जहाँ पश्चिमी देशों में महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा वहीं भारत में स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं ने राजनीतिक संघर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और स्वतंत्रता पश्चात् नवनिर्मित संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर राजनीति में उनकी समान सहभागिता को सुनिश्चित किया गया परन्तु यह बड़ा ही कष्टप्रद तथ्य है कि स्वतंत्रता सत्तर दशक उपरान्त भी आधी आबादी राजनीति परिदृश्य में पुरुषों की तुलना में नगण्य है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का अर्थ निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर महिलाओं की सत्ता में भागीदारी तक है। मताधिकार की प्रक्रिया जो निर्णय निर्माण में अहम् भूमिका अदा करती है, राजनीतिक सहभागिता है। नार्मन एच0वी0आई0 तथा सिडनी वर्बा के शब्दों में ''राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सहमत गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।'' किन्तु वर्तमान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मात्र मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से भी जुड़ गयी है। सत्ता में भागीदारी होने का अर्थ है शक्ति प्राप्त करना और वैध शक्ति (सत्ता) ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित, संचालित एवं प्रभावित करती है, इसलिए राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण माँग बन गई है।[1]

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करने के लिए उनकी मतदाता के रूप में सक्रियता, उनकी प्रत्याशी के रूप में प्रतिभागिता, उनका विधायिकाओं में चुना जाना तथा सरकार में उनके प्रतिनिधित्व की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। यह सर्वविदित है कि समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। अतः विश्लेषण का आधार वर्ष 2014 में सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन और फरवरी–मार्च 2017 में सम्पन्न पाँच राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के विधानसभा निर्वाचन के आँकड़ों को आधार बनाया गया है। आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम थी परन्तु मताधिकार प्रयोग में महिलाओं ने सामान्यतः पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।

पाँच राज्यों – उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा निर्वाचन 2017 में महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम थी। सभी राज्यों के कुल 2979 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या मात्र 234 थी और उसमें से मात्र 56 महिला उम्मीदवार ही विजयी हुईं। यदि वर्ष 2012 के निर्वाचन आँकड़ों से तुलना की जाये तो महिला प्रत्याशियों का विजय प्रतिशत 2 प्रतिशत अधिक है। हालाँकि कुल उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 में 260 की तुलना में 2017 में कम थी परन्तु 260 महिला उम्मीदवारों में से 59

महिला उम्मीदवार विजयी हुई थीं।[2]

इन पाँच राज्यों में महिला उम्मीदवारों की कम भागीदारी बहुत कुछ मात्रा में अन्य राज्यों या यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीति में कम भागीदारी का ही उदाहरण है। अगर अलग–अलग राज्यों का विश्लेशण करें तो सर्वप्रथम राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एवं संख्या की दृष्टि से अधिकतम जन प्रतिनिधित्व वाले राज्य उत्तर प्रदेष में महिला उम्मीदवारों का विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2017 में कुल सदस्य संख्या 403 हेतु महिला उम्मीदवारों की संख्या मात्र 61 थी जिसमें से मात्र 40 महिला उम्मीदवार ही विजयी हुईं। यद्यपि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 40 महिला सदस्यों की संख्या अब तक की सर्वाधिक संख्या है परन्तु यह केवल 10 प्रतिशत सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है हालाँकि थोड़ा सन्तोष की बात यह है कि वर्ष 2012 में यद्यपि महिला उम्मीदवारों की संख्या 79 थी परन्तु विजयी मात्र 36 महिलाएँ ही हुई थी।[3] यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि महिलाओं को कम टिकट दिये गये परन्तु उन्हें विजय ज्यादा सीट पर मिली।

पंजाब विधानसभा निर्वाचन में कुल सदस्य संख्या 117 हेतु 81 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं परन्तु विजयी मात्र 06 महिला उम्मीदवार ही हुईं जो कि कुल सदस्य संख्या का मात्र 5 प्रतिशत ही है जबकि वर्ष 2012 के विधानसभा निर्वाचन में महिला उम्मीदवारों की संख्या 93 एवं विजयी महिला उम्मीदवारों की संख्या 14 थी। इस तरह से पंजाब में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या वर्ष 2017 में कम हुई है।[4]

वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से विभाजित एवं नवगठित राज्य उत्तराखण्ड के विधानसभा निर्वाचन 2017 का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वर्श 2012 एवं 2017 में महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। कुल 70 सदस्यीय सदन के लिए वर्श 2017 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 62 थी जबकि विजयी महिला प्रत्याषी मात्र 05 ही थी जो कुल सदस्य संख्या का 7 प्रतिशत ही हैं और वर्ष 2012 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 63 थी जबकि विजयी मात्र 05 महिलाएँ ही हुई थीं।[5]

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा निर्वाचन 2017 में कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 11 थी जबकि विजयी महिला उम्मीदवार मात्र 02 थीं जो कुल सदस्य संख्या का मात्र 03 प्रतिशत ही है जबकि वर्ष 2012 में मणिपुर में महिला उम्मीदवारों की संख्या 15 तथा विजयी उम्मीदवारों की संख्या 03 थी। गोवा में 40 सदस्यीय विधान सभा हेतु 2017 में सम्पन्न निर्वाचन में महिला उम्मीदवारों की संख्या 19 थी जबकि विजयी मात्र 02 हुईं जो कुल सदस्य संख्या का मात्र 5 प्रतिशत ही है। गोवा में महिला प्रतिभागिता पिछले विधान सभा की तुलना में थोड़ा अधिक है क्योंकि वर्ष 2012 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 थी और केवल 01 महिला उम्मीदवार ही विजयी हुई। पाँच राज्यों के 2017 एवं 2012 विधानसभा निर्वाचन में महिला उम्मीदवारों की स्थिति निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है :–

राज्य विधानसभा	कुल सदस्य संख्या	वर्ष 2017		वर्ष 2012	
		महिला उम्मीदवार संख्या	विजयी महिला उम्मीदवार संख्या	महिला उम्मीदवार संख्या	विजयी महिला उम्मीदवार संख्या
उत्तर प्रदेश	403	61	40	79	6
पंजाब	117	81	06	93	14
उत्तराखण्ड	70	62	05	63	05
मणिपुर	60	11	02	15	03
गोवा	40	19	02	10	01

(स्रोत : भारत निर्वाचन आयोग)

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2017 में गोवा राज्य को छोड़कर अन्य चार राज्यों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है। महिला विजयी सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश एवं गोवा में थोड़ी वृद्धि हुई है परन्तु पंजाब व हरियाणा में कमी आई है और उत्तराखण्ड में महिला प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी राज्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत से भी कम है। मात्र उत्तर प्रदेष में यह सर्वाधिक 10 प्रतिशत है।

अब हम नेतृत्व की बात करें या सरकार में भागीदारी की बात करें तो यह स्वाभाविक ही है कि जब महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कम है तो सरकार में उनकी भागीदारी भी कम ही होगी। सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश सरकार को देखें तो मार्च 2017 में नवगठित सरकार में 05 महिलाएँ सरकार में सम्मिलित हैं जिसमें डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी केन्द्रीय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। शेष चार अनुपमा जायसवाल, स्वाति सिंह, गुलाबो देवी और अर्चना पाण्डेय राज्य स्तर मंत्री हैं।[6] उत्तराखण्ड में मात्र 01 महिला सरकार में शामिल है जबकि पंजाब में दो महिलाएँ राज्य स्तर की मंत्री के रूप में सरकार में सम्मिलित हैं।[7] गोवा व मणिपुर में नवगठित सरकार में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

अब महिलाओं द्वारा मताधिकार प्रयोग के आँकड़ों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि महिलाओं ने अधिकांशतया मताधिकार प्रयोग में पुरुषों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुल पुरुष मतदाता संख्या 77042607 एवं महिला मतदाता संख्या 64613747 थी जबकि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले पुरुष मतदाता की संख्या 45570067 तथा महिला मतदाता की संख्या 40906123 है और इस प्रकार जहाँ पुरुषों के मताधिकार प्रयोग का प्रतिशत 59.14 था वहीं महिलाओं का प्रतिशत उससे कहीं अधिक 63.30 प्रतिशत था।[8] वर्श 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में भी महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ा था परन्तु तब दोनों के मध्य अन्तर 106 प्रतिषत का था जो वर्ष 2017 में बढ़कर

4 प्रतिशत हो गया।[9] पंजाब विधानसभा निर्वाचन 2017 में कुल मतदान प्रतिशत 77.3 प्रतिशत था जिसमें महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में 78.14 प्रतिशत महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि पुरुषों का प्रतिशत 76.69 था। यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि 2012 विधानसभा निर्वाचन में भी महिला मतदान प्रतिशत 79 पुरुषों के 78 प्रतिशत की तुलना में अधिक था।[10] उत्तराखण्ड में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। उत्तराखण्ड में 38.87 लाख पुरुष तथा 35.23 लाख महिला मतदाता हैं वहाँ वर्ष 2007, 2012 एवं 2017 विधानसभा निर्वाचन में लगातार न केवल महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है वरन् लगातार महिलाएँ मताधिकार प्रयोग में भी पुरुषों से आगे रही हैं। 2012 की तुलना में 2017 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत कम हुआ है जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट समझा जा सकता है[11]—

वर्ष	महिला मतदान प्रतिशत	पुरुष मतदान प्रतिशत
2017	69.34%	62.28%
2012	68.84%	65.74%
2007	59.45%	58.95%

गोवा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। गोवा में महिला मतदाता 5.63 लाख जबकि पुरुष मतदाता 5.45 लाख हैं और 2017 विधानसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत भी 83 प्रतिशत तक था।[12] इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गोवा में मतदान में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी रही।

2017 में पाँच राज्यों में सम्पन्न विधानसभा निर्वाचन तथा 2014 के लोकसभा निर्वाचन में इन्हीं पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर, गोवा, पंजाब) में महिलाओं की मतदान प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि 2014 लोकसभा निर्वाचन में भी गोवा में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 79.11 पुरुशों की 74.91 की तुलना में कहीं अधिक था। इसी प्रकार मणिपुर में भी विधानसभा निर्वाचन के अनुरूप लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 80.54 था जो पुरुषों के मतदान प्रतिशत 78.66 से अधिक है। पंजाब में भी लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 70.93 पुरुषों के 70.33 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। उत्तराखण्ड में हमेषा की भाँति लोकसभा निर्वाचन 2014 में पुरुषों के मतदान प्रतिशत 60.48 की तुलना में महिलाओं ने 62.84 प्रतिशत मतदान में भाग लिया। विशेष उल्लेखनीय यह है कि उ0 प्र0 में लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में मतदान में भागीदारी कम थी। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.13 था जबकि महिलाओं का प्रतिशत 57.42 था।[13] परन्तु 2017 विधान सभा निर्वाचन में उ0 प्र0 में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक हो गया।

इस प्रकार यह कहने में कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों से मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में महिलाओं के मतदान अनुपात में भी वृद्धि

हुई है। अगर हम 2009 एवं 2014 लोकसभा निर्वाचन के आँकड़ों की तुलना करें तो निम्न आँकड़ें प्राप्त करेंगें[14] –

क्र.सं.		लोकसभा 2014	लोकसभा 2009
1.	कुल मतदान	55.38 करोड़	41.7 करोड़
2.	कुल मतदाता	83.41	71.69
3.	कुल मतदान प्रतिशत	66.4%	58.19%
4.	महिलाओं का मतदान प्रतिशत	65.63	55.82
5.	पुरुष मतदान प्रतिशत	67.09	60.24
6.	लैंगिक अन्तर	1.46 फीसदी	4.42 फीसदी

लोकसभा निर्वाचन 2014 के आँकड़ों की उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि अब तक का सर्वाधिक कुल मतदान प्रतिशत 66.4 का आँकड़ा हमें प्राप्त होता है। महिला व पुरुष दोनों के मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2014 के लोकसभा निर्वाचन में लैंगिक अन्तर घटकर 1.46 रह गया जो वर्ष 2009 में 4.42 फीसदी था। यदि हम निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करें तो 16 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश – अरुणाचल, चंड़ीगढ़, गोवा, उड़ीसा, पाण्डिचेरी, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड व बिहार में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अपने मताधिकार का अधिक प्रयोग किया है।[15]

महिलाओं की लोकसभा में सदस्यता अभी तक एक चिन्ता का विषय है। पिछले लगभग तीन दशकों में लोकसभा में महिला सदस्यों की प्रतिभागिता निम्नवत् रही है :–

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	प्रतिशत
1991	521	37	7.1
1996	543	40	7.4
1998	543	43	7.9
1999	543	49	9.0
2004	543	45	8.2
2009	543	59	10.8
2014	543	61	11.2

(स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग)

प्रथम लोकसभा निर्वाचन में महिला सदस्य संख्या मात्र 22 थी जो धीरे–धीरे 2014 में अपने सर्वाधिक संख्या के रूप में 61 तक पहुँच गयी है परन्तु यह संख्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व में समानता के अधिकार को पूर्ण नहीं करती है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता कम होने के अनेक कारणों में से एक कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा सामान्य निर्वाचन में महिला उम्मीदवारों को टिकट न देना है। लोकसभा निर्वाचन 2004, 2009 एवं 2014 में कांग्रेस ने क्रमशः 45, 43 एवं 47 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया वहीं भाजपा ने क्रमशः 30, 44 एवं 37 महिला सदस्यों को ही टिकट प्रदान किया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि महिला मतदाता मतदान में पुरुषों की तुलना में अधिक भागीदारी कर रही हैं तो फिर वह निर्वाचित हो विधि निर्माणकारी संस्थाओं एवं सरकार में अपना योगदान क्यों नहीं दे पा रही हैं? यदि हम भारत में विगत सात दशकों को राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि प्रतिष्ठित पदों को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, महिला नेत्रियों क्रमशः सोनिया गाँधी, ममता बनर्जी और मायावती के इर्द–गिर्द ही केन्द्रित है। अन्नाद्रमुक स्व0 जयललिता द्वारा ही पल्लवित पुष्पित की गयी थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री हैं परन्तु इस स्तर पर राजनीति में सक्रिय महिलाओं की गिनती उँगलियों पर ही की जा सकती है। आधी आबादी पचास प्रतिशत कौन कहे एक चौथाई भी पद प्राप्त नहीं कर पायी है। राजनीति में यह लैंगिक अन्तर केवल भारत की ही नहीं वरन् विश्व की समस्या है। राजनीति में लैंगिक अन्तर एक सार्वभौमिक तथ्य है तथा समाजशास्त्रियों ने राजनीति में महिलाओं की कम प्रतिभागिता के कुछ कारण बताये हैं। निष्कर्ष रूप में उनका कहना है कि महिलाओं की राजनीति में प्रतिभागिता में बाधा के कई स्तर हैं – सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था, परम्पराओं, आर्थिक स्तर, औपचारिक एवं अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं और संस्कृति से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न बाधक तत्वों के सारांश को निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है – लैंगिक भूमिकाओं की संकीर्णता, प्रतिबंधित धार्मिक मान्यताएँ, असमान कानून और शिक्षा, भेदभावपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ, पुरुष पक्षधारी दलीय नेता अथवा दलीय अभिजन और कुछ मात्रा में मतदाता और महिला प्रतिकूल निर्वाचन व्यवस्था।[17] कमोवेश यही परिस्थितियाँ भारत में भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बाधक हैं।

इन्हीं परिस्थितियों को दूर करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। विश्व परिदृश्य में व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत 15 से 22 के मध्य है और यह प्रतिशत आधी आबादी के दृष्टिकोण से कम ही है तथा भारत में वर्तमान में यह अपने सर्वोच्चतम स्तर 11 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य दशा मानते हुए भारत सरकार ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाथों व नगर निकायों में कुल स्थानों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ ही साथ अनुसूचित जाति,

जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये भी इनकी संख्या के अनुपात में 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया। राज्यों ने भी 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप अपने–अपने राज्यों में पंचायत राज कानून बनाकर उनके अनुरूप निर्वाचन कराये। उपर्युक्त व्यवस्था का सुपरिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति 33 प्रतिशत से अधिक हो गयी है।[16]

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पिछले दो दषकों से लम्बित यह विधेयक राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थों का दंश झेल रहा है। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने एवं उन्हें सशक्त करने के विचार में दो वर्ग आमने–सामने हैं। एक वर्ग का कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति, जनजाति को संविधान द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया था और आज तक उस वर्ग की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है इसलिए आरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सशक्त करना भ्रामक है। महिलाएँ संसद और विधान सभाओं में पहुँचकर महिला हितों की रक्षा करेंगी यह कोई उचित दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि इस दृष्टिकोण से महिला पुरुष के बीच विभाजन रेखा खींची जा रही है। सोचना तो यह चाहिए कि जो भी निर्वाचित होकर संसद और विधानसभाओं में जाये वह सबका हित करेगा। महिलाएँ जो स्वयं सक्षम हैं अपनी मेधा व प्रतिभा से स्वयं संसद तक का सफर बिना आरक्षण तय कर सकती हैं। ईमानदारी से डेढ़–पौने दो सौ महिलाएँ संसद में आ भी गयीं तो महिलाओं की दुनिया बदलने में यह कितनी सक्षम होंगी? खास तौर पर आज के राजनैतिक माहौल में।[17]

हर विचार के पक्ष–विपक्ष होते हैं। महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में अपने–अपने मत हैं। इस सम्बन्ध में यह सुझाव उचित ही लगता है कि आरक्षण के द्वारा चयनित महिला को दो से अधिक बार आरक्षण के आधार पर चयन से रोक लगा देनी चाहिए। ऐसी महिला तीसरी बार आरक्षण का लाभ प्राप्त न कर पाये इससे न केवल कुछ अभिजन महिलाओं के एकाधिकार को चुनौती मिलेगी वरन् अन्य महिलाओं को भी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिलेगा।[18]

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजनीतिक दलों की आचार संहिता में नियम बनाकर महिलाओं को स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बीजिंग सम्मेलन (1995) में राजनीतिक दल की भूमिका पर सविस्तार विश्लेषण हुआ था और यह सुझाव भी दिया गया था कि सभी देशों में राजनैतिक दल महिला उम्मीदवारों का कोटा निश्चित करें और साथ ही दलों के आन्तरिक संगठन में सभी स्तरों पर महिला पदाधिकारियों की व्यवस्था करें। अनेक देशों में इस तथ्य को स्वीकारा और कई देशों के राजनैतिक दलों के अधिशासी निकाय में महिलाओं के लिए निश्चित कोटा जैसे आस्ट्रेलिया में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये। कई देशों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरूआत की जैसे बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था, दलों की बैठकों का समय इस तरह निर्धारित

करना कि महिलाओं को घर की जिम्मेदारी पूरा करने में बाधा न हो आदि।[19] भारत में भी राजनीतिक दलों द्वारा कुछ इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब हम प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का अवसर प्रदान करेंगे तभी हम उसे संसद तक प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय राजनीति की यह विडम्बना ही है कि चुनावी घोषणा पत्र एवं वायदों में प्रत्येक राजनीतिक दल महिला समानता एवं अधिकारों का वायदा करता है परन्तु यथार्थता में कोई भी दल न तो संगठन स्तर पर और न ही निर्वाचन स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।[20]

अन्ततः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक सहभागिता में लैंगिक अन्तर है। मतदान प्रक्रिया में यह अन्तर धीरे–धीरे कम हो रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात व्यवस्थापिका एवं सरकार में भागीदारी के स्तर पर इसमें बहुत अन्तर है और उससे कम करने अथवा आदर्श रूप में समाप्त करने के लिए गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास मात्र कानून बना देने से ही सफल नहीं होंगे वरन् उन कानूनों के अनुपालन के साथ ही साथ महिलाओं के स्वयं जागरुक होने से होगा। महिलाओं की एकजुटता आवष्यक है, आवश्यक है उनके दृढ़ निश्चय की और आवश्यकता है अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होने के आत्मविश्वास की।

सन्दर्भ :

1. *गुप्ता, नीलम – भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम, पृष्ठ–157, दुबे, सारिका ed. Women Empowerment Challenges of Millenium, Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi (India) 2015*
2. *http://Indianexpress.com - The Indian Express, March 12, 2017*
3. *http://Indianexpress.com - The Indian Express, March 12, 2017*
4. *http://Indianexpress.com - The Indian Express, March 12, 2017*
5. *http://Indianexpress.com - The Indian Express, March 12, 2017*
6. *www.financialexpress.com/india_news*
7. *www.financialexpress.com*
8. *www.thehindu.com - March 16, 2017*
9. *Election Commisson of India - State Election 2017 Legislative Assembly UP*
10. *The Economic Times UP Election 2017 : Women Voters exceed men by wider margin than 2012 Polls, March 09, 2017*
11. *Time of India.indiatimes.com, Feb. 24, 2017*
12. *www.thehindu.com - Fewer Women Candidates in Goa - Jan. 27, 2017*
13. *eci.nic.in/cci_main/SVEE.P/Voter Turnout Highlights Loksabha 2014.pdf*
14. *eci.nic.in/cci_main/SVEE.P/Voter Turnout Highlights Loksabha 2014.pdf*
15. *eci.nic.in/cci_main/SVEE.P/Voter Turnout Highlights Loksabha 2014.pdf*

16. *Singh, Neelima महिला मानवाधिकारों में अर्न्तनिहित राजनैतिक अधिकार : भारत के सन्दर्भ में Page 75, Journal Man, Nature and Society, Department of Political Science and Public Administration Volume V July-August 2008, Kumaun University, Nainital*
17. *Tiwari, Vibha - Gender Gap in Indian Politics Page-142, The UP Journal of Political Science Vol. II No. 182 December 2010 & Jan. 2011*
18. *Barnwal, Sanjay - Political Participation : A Savior to Women, page 47, Dubey, Sarika ed. Women Empowerment Challenges of Millenium, Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi (India) 2015*
19. *सिन्हा, निरोज – महिला सषक्तिकरण – वायदे और हकीकत, पेज 13, सन् 2001, आधी जमीन ऐपवा का मुखपत्र अक्टूबर–दिसम्बर 2001*
20. *Kumari, R. Letha - Women in Politics Participation and Governance, Authors Press, E-35/103 Jawahar Park Laxmi Nagar Delhi 2006*